ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 83

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1575.55	...	1575.55	1709.36	...	1709.36	1700.00	...	1700.00	2310.36	...	2310.36
वसूलियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1575.55**	**...**	**1575.55**	**1709.36**	**...**	**1709.36**	**1700.00**	**...**	**1700.00**	**2310.36**	**...**	**2310.36**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	8.24	...	8.24	9.36	...	9.36	9.36	...	9.36	9.89	...	9.89
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया संबंधी पहल-भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम	39.91	...	39.91	150.00	...	150.00	140.64	...	140.64	150.00	...	150.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. ईएपी संघटक												
3.01 कार्यक्रम घटक	1522.90	...	1522.90	1495.00	...	1495.00	1495.00	...	1495.00	2045.47	...	2045.47
3.02 इ ए पी घटक	4.50	...	4.50	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	105.00	...	105.00
जोड़- ईएपी संघटक	*1527.40*	...	*1527.40*	*1550.00*	...	*1550.00*	*1550.00*	...	*1550.00*	*2150.47*	...	*2150.47*
कुल जोड़	***1575.55***	***...***	***1575.55***	***1709.36***	***...***	***1709.36***	***1700.00***	***...***	***1700.00***	***2310.36***	***...***	***2310.36***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	14.08	...	14.08	33.25	...	33.25	33.25	...	33.25	38.25	...	38.25
2. भू सुधार	6.81	...	6.81	22.90	...	22.90	126.64	...	126.64	135.00	...	135.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	8.24	...	8.24	9.36	...	9.36	9.36	...	9.36	9.89	...	9.89

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**29.13**	**...**	**29.13**	**65.51**	**...**	**65.51**	**169.25**	**...**	**169.25**	**183.14**	**...**	**183.14**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	165.00	...	165.00	164.00	...	164.00	220.00	...	220.00
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1546.42	...	1546.42	1477.85	...	1477.85	1366.75	...	1366.75	1907.22	...	1907.22
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**1546.42**	**...**	**1546.42**	**1643.85**	**...**	**1643.85**	**1530.75**	**...**	**1530.75**	**2127.22**	**...**	**2127.22**
कुल जोड़	**1575.55**	**...**	**1575.55**	**1709.36**	**...**	**1709.36**	**1700.00**	**...**	**1700.00**	**2310.36**	**...**	**2310.36**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालयीय आर्थिक सेवाओं पर व्यय के लिए किया गया है।

2. **भूमि रिकार्ड के आधुनिकिकरण का कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में भूमि अभिलेख प्रणाली को आधुनिक बनाना और अद्यतन तथा रीयल टाइम भूमि अभिलेखों वाली एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार करना है। इस प्रयोजनार्थ, भूमि अभिलेख प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन की दो मुख्य प्रणालियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से एकीकृत किया जाना है।

कार्यक्रम का मुख्य बल नागरिक सेवाओं जैसे नक्शों सहित अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) भूमि आधारित अन्य प्रमाण-पत्रों जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र आदि की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां मुहैया कराने पर है। सम्पत्ति स्वामी अपने भूमि अभिलेखों को देख सकेंगे, क्योंकि अभिलेखों को उचित सुरक्षा आईडी के साथ वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्टॉम्प पेपर को समाप्त करने और स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान बैंकों के जरिए करने, ऋण सुविधा के लिए ई लिंकेज, ऑटोमेटिक और स्वचालित नामांतरणों तथा सिंगल विंडो सेवा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम भूमि राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने और उसमें दक्षता लाने के साथ साथ स्थान विशिष्ट सूचना की आवश्यकता वाले विभिन्न भूमि आधारित विकासात्मक, विनियामक और आपदा प्रबंधन कार्यकलापों की योजना तैयार करने हेतु एक विस्तृत साधन मुहैया कराने में केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा।

3.01. **ईएपी संघटक:** प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना वाटरशेड विकास घटक पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)

भूमि संसाधन विभाग 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर सभी राज्य) में 39.07 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए मुख्य रूप से निवल जोत क्षेत्र और कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों के विकास के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यकलापों में अन्य के साथ-साथ रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकास लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, संपत्तिविहीन लोगों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

3.02. **ईएपी संघटक:** विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन परियोजना (डब्ल्यूबी-एनडब्ल्यूएमपी) 'नीरांचल'

भूमि संसाधन विभाग 2142.3 करोड़ रुपये (357 मिलियन डालर) के परिव्यय से राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन परियोजना नीरांचल नामक तकनीकी सहायता परियोजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है जिसमें से 50 प्रतिशत की राशि विश्व बैंक द्वारा दीर्घावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यह कार्यक्रम 8.2.2016 से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम से मुख्य रूप में परियोजना राज्यों में किसान समुदायों के लिए स्थायी रूप में वृद्धिमूलक संरक्षण परिणामों और कृषि उपजों को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता के माध्यम से पीएमकेएसवाई के वाटरशेड घटक को सहायता मिलेगी।